॥ आयुषे सर्वलोकानाम् ॥

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालयः टी–19, पहली और दूसरी मंजिल, ब्लॉक–IV, धन्वन्तरि भवन,
मार्ग नंबर– 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110026
National Commission for Indian System of Medicine
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Office: T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantari Bhawan,
Road No.- 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

दूरभाष / Phone
सभापति / Chairman: 25221001
सचिव / Secretary: 25221006
कार्यालय /Office: 25221002/3
पंजीयन / Registration: 25221004
www.ncismindia.org
secretary@ncismindia.org

क्रमांक / Ref. BOA/7-B/2026 **दिनांक /Dated. 05.11.2026**

To,

The Director/ Dean/ Principal
All ASUS colleges

Subject- Anti-Ragging Measures to be initiated by all ASUS institutions - **reg**.

Sir/Madam,

With reference to the subject mentioned above, it is informed that the National Commission for Indian System of Medicine has already circulated an Academic Calendar for the commencement of 2026-27 Batch in all ASUS Colleges.

Further, you all are aware that, ragging in any educational institutions has become a menace in recent years, and therefore, to curb the menace of ragging several preventive/ basic measures has to be followed by all ASUS Institutes and for that UGC has notified "Regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions, 2009 https://aiimsbhubaneswar.nic.in/admin/Document/ragging/raggingregulations.pdf These regulations are mandatory to be followed by all higher educational institutions.

Further, as per a D.O. letter ref no.1-15/2009 (ARC) pt III dated 16.09.2022 issued by UGC multiple mechanism are required to ensure a Ragging free campus. **Recommendations and action steps required to be deployed in your esteemed institution shall be as under: -**

A. Basic Measures:

1. Constitution of Anti- Ragging Committee, Anti- ragging Squad, setting up of Anti-ragging cell and adequate publicity for these measures through various media are to be undertaken.
2. Mention of Anti-Ragging warning in the institution's Prospectus and information booklets/ Brochures shall be ensured.
3. Updating website of institution with the complete address and contact details of nodal officers related to anti- ragging committee.
4. In compliance with the UGC Regulations and its 2nd Amendment regarding submission of Undertaking by each student and every parent, an online undertaking in every academic year to be submitted.
5. UGC has notified 3rd Amendment in UGC Regulations on 29"' June, 2016 to expand the definition of ragging by including the following: -

 "3. "any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of color, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity place of birth, place of residence or economic background."
6. Installing CCTV cameras at vital points.
7. Committee may be constituted on death/suicide/ severe ragging cases.
8. Need to sensitize HEIs regarding the Revised Procedure for student to file online Anti Ragging undertaking.

B. Counseling and monitoring measures

1. Regular interaction and counseling with the students can detect early signs of ragging and identification of trouble-triggers.

Surprise inspection at hostels, students' accommodation, canteens, rest-cum-recreation rooms, toilets, bus- stands and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled-for behavior/incident shall be undertaken.

C. Creative Dissemination of the idea of ragging-free campus

1. Events like Anti-Ragging workshops, seminars and other creative avenues to spread the idea.
2. Safety and security apps without affection the privacy of individuals can be creatively deployed.

The Anti-Ragging guidelines of UGC to be followed on Curbing the menace of Ragging, E-contents on abatement of Ragging such as TVCs, Jingles, Short Films and Posters etc. are available on the website of UGC for wide circulation.

Further, an advisory has also been issued by the joint secretary, UGC to the Vice Chancellor of all the universities to take adequate steps to prevent ragging in accordance with the above-mentioned regulation and as per UGC's communication

dated 16.09.2022 the same is hereby forwarded to you for the implementation of the same in your institution.

Therefore, keeping view of the above points, you are hereby directed to adopt and implement the above mention steps and measures to ensure a ragging free campus. Also added that if any ragging related activity reported in your institution, you are requested to submit "the action taken report of the same to the following mail id: - member.boa1@ncismindia.org.

(Dr. Atul B. Varshney)
Nodal Officer Anti-Ragging Cell
(NCISM)

डॉ. अतुल बाबू वार्ष्णेय
Dr. Atul Babu Varshney
सदस्य, आयुर्वेद बोर्ड
Member, Board of Ayurveda
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
National Commission for Indian System of Medicine
पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026
Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

Copy to:-

1. Chairperson, NCISM, New Delhi-110026
2. All Board President, NCISM.
3. The Secretary, University Grants Commission, Ministry of Education, Govt. of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, Email: secy.ugc@nic.in
4. The joint Secretary, University Grants Commission, Ministry of Education, Govt. of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.Contact no. 011-23239597, Email: archana.ugc@nic.in
5. The section Officer, University Grants Commission (UGC) Anti Ragging Cell, 35, Feroze Shah Road, New Delhi-110001, Contact No. 011-23382087, Email: raggingcell@yahoo.in
6. Guard file

(Dr. Atul B. Varshney)
Nodal Officer Anti-Ragging Cell
(NCISM)

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालयः टी–19, पहली और दूसरी मंजिल, ब्लॉक–IV, धन्वन्तरि भवन,
मार्ग नंबर– 66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110026
National Commission for Indian System of Medicine
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Office: T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantari Bhawan,
Road No.- 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

॥ आयुषे सर्वलोकानाम् ॥

दूरभाष / Phone
सभापति / Chairman: 25221001
सचिव / Secretary: 25221006
कार्यालय /Office: 25221002/3
पंजीयन / Registration: 25221004
www.ncismindia.org
secretary@ncismindia.org

क्रमांक / Ref. BOA/7-B/2026 **दिनांक /Dated.05 .11.2026**

सेवा में,

निदेशक / अधिष्ठाता / प्राचार्य
समस्त ASUS महाविद्यालय

विषय: ASUS संस्थानों में रैगिंग (Ragging) की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) द्वारा सभी ASUS महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक कैलेंडर पूर्व में ही जारी किया जा चुका है।

आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान समय में शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग एक गंभीर समस्या एवं चुनौती बनती जा रही है। इस कुप्रथा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा महाविद्यालय परिसरों को रैगिंग मुक्त बनाने के उद्देश्य से सभी ASUS संस्थानों द्वारा विभिन्न निवारक एवं आधारभूत उपायों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विनियम, 2009 (Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions 2009) अधिसूचित किए गए हैं। https://aiimsbhubaneswar.nic.in/admin/Document/ragging/raggingregulations.pdf उक्त विनियमों का पालन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या 1–15/2009 (ARC) Part–III दिनांक 16-09-2022 के माध्यम से रैगिंग मुक्त परिसर सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न व्यवस्थाओं एवं उपायों की अनुशंसा की गई है। उक्त निर्देशों के अनुसार संस्थानों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी आवश्यक है:

A- आधारभूत उपाय

1- महाविद्यालय में एंटी–रैगिंग समिति (Anti–Ragging Committee), एंटी–रैगिंग स्क्वॉड (Anti–Ragging Squad) एवं एंटी–रैगिंग सेल (Anti–Ragging Cell) का गठन किया जाए तथा इनके संबंध में विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
2- महाविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस, सूचना पुस्तिकाओं एवं विवरणिका (Brochures) में रैगिंग के विरुद्ध चेतावनी एवं संबंधित नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
3- संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर एंटी–रैगिंग समिति एवं संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम, पदनाम, पूर्ण पता एवं संपर्क विवरण अद्यतन किए जाएं।
4- UGC के विनियमों एवं द्वितीय संशोधन के अनुपालन में प्रत्येक विद्यार्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में ऑनलाइन एंटी–रैगिंग शपथ–पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।
5- UGC द्वारा दिनांक 29 जून 2016 को अधिसूचित तृतीय संशोधन के अनुसार रैगिंग की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी (नवप्रवेशी अथवा अन्य) के विरुद्ध रंग, नस्ल, धर्म, जाति, जातीयता, लिंग (ट्रांसजेंडर सहित), लैंगिक अभिविन्यास, शारीरिक बनावट, राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय मूल, भाषाई पहचान, जन्मस्थान, निवास स्थान अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया गया शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, जिसमें सामाजिक बहिष्कार भी शामिल हैं, रैगिंग की श्रेणी में आता है।
6- महाविद्यालय परिसर के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे स्थापित किए जाएं।
7- रैगिंग के कारण मृत्यु, आत्महत्या अथवा गंभीर रैगिंग की घटनाओं के मामलों में आवश्यकतानुसार विशेष जांच समिति का गठन किया जाए।
8- विद्यार्थियों को ऑनलाइन एंटी–रैगिंग शपथ–पत्र जमा करने की संशोधित प्रक्रिया के संबंध में जागरूक एवं संवेदनशील किया जाए।

B- परामर्श एवं निगरानी संबंधी उपाय

1- विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद एवं परामर्श सत्र आयोजित किए जाएं, जिससे रैगिंग की संभावित घटनाओं के प्रारंभिक संकेतों तथा विवाद उत्पन्न करने वाले कारणों की समय रहते पहचान की जा सके।
2- छात्रावासों, विद्यार्थियों के आवासीय परिसरों, कैंटीन, मनोरंजन कक्षों, शौचालयों, बस स्टैंड तथा अन्य संवेदनशील स्थानों का औचक निरीक्षण किया जाए।
3- रैगिंग अथवा किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार एवं अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के लिए आवश्यक निगरानी एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं।

C- रैगिंग मुक्त परिसर की अवधारणा का रचनात्मक प्रचार–प्रसार

1- रैगिंग के दुष्परिणामों एवं रोकथाम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एंटी–रैगिंग कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सेमिनार एवं अन्य रचनात्मक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
2- विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन एवं डिजिटल माध्यमों का रचनात्मक उपयोग किया जा सकता है, जिनसे व्यक्तियों की निजता (Privacy) प्रभावित न हो।

UGC द्वारा रैगिंग की रोकथाम के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों तथा रैगिंग उन्मूलन हेतु उपलब्ध ई–कंटेंट, जैसे टेलीविजन विज्ञापन (TVCs), जिंगल्स, लघु फिल्में एवं पोस्टर आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। उक्त सामग्री UGC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को उपर्युक्त विनियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप रैगिंग की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में परामर्श (Advisory) भी जारी किया गया है। UGC के दिनांक 16-09-2022 के पत्र में उल्लिखित निर्देशों एवं अनुशंसाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके संस्थान को प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थान में उल्लिखित सभी उपायों एवं व्यवस्थाओं को अनिवार्य रूप से अपनाते हुए उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि महाविद्यालय परिसर को पूर्णतः रैगिंग मुक्त बनाया जा सके। साथ ही, यदि आपके संस्थान में रैगिंग से संबंधित कोई भी घटना संज्ञान में आती है, तो उस पर की गई कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन (Action Taken Report) निम्नलिखित ई–मेल पते पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें:
ई–मेल: member.boa1@ncismindia.org

भवदीय,

डॉ अतुल बाबू वार्ष्णेय
नोडल अधिकारी, एंटी–रैगिंग सेल
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM)

डॉ. अतुल बाबू वार्ष्णेय
Dr. Atul Babu Varshney
सदस्य, आयुर्वेद बोर्ड
Member, Board of Ayurveda
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
National Commission for Indian System of Medicine
पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026
Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

प्रतिलिपि:

1- अध्यक्ष, NCISM, नई दिल्ली–110026।
2- NCISM के समस्त बोर्ड अध्यक्ष।
3- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002। ई–मेल: secy-ugc@nic-in
4- संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002। संपकर्रू 011–23239597 ई–मेल: archana-ugc@nic-in
5- अनुभाग अधिकारी, UGC एंटी–रैगिंग सेल, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली–110001। संपकर्: 011–23382087 ई–मेल: raggingcell@yahoo-in
6- कार्यालय अभिलेख हेतु ।

डॉ अतुल बाबू वार्ष्णेय
नोडल अधिकारी, एंटी–रैगिंग सेल
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM)